शोध मंथन Vol. XIII No.II Apr.-June 2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Impact Factor 8.783 (SJIF)

राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक एवं सहायक तत्वः एक मूल्यांकन

प्राप्तिः 11.05.2022
स्वीकृतः 04.06.2022

48

डॉ० प्रदीप कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
जे०एस०एच० (पी०जी०) कॉलिज, अमरोहा
ईमेलः *drpradeepkumar1410@gmail.com*

सारांश

भारत में सभी राज्य एक ही संविधान से शासित हैं, परंतु आर्थिक, सामाजिक, जाति, वर्ग, संस्कृति एवं सम्प्रदाय आदि तत्वों के कारण विभिन्न राज्यों में पृथक–पृथक ढंग की राजनीतिक प्रक्रियाओं का विकास हुआ है। भारत में राजनीति मुख्यतः राष्ट्र निर्माण और देश की एकता एवं अखण्डता को बनाये रखने की होनी चाहिए, परन्तु यह आज देश की एकता के समक्ष चुनौती दिखाई दे रही है क्योंकि भारत में भाषावाद, जातिवाद, साम्प्रदायिकतावाद, राजनीतिक अपराधीकरण, भ्रष्टाचार और अवसरवाद जैसे दूषित तत्व उग्र रूप ले रहे हैं। अतः देश की एकता एवं अखण्डता के लिए सहायक तत्व मौलिक अधिकार, मौलिक कर्त्तव्य, पर्यटन एवं मेले तथा आदर्श राजनीतिक संस्कृति आदि को आत्मसात् करने की आवश्यकता है। जिससे राष्ट्रीय एकीकरण के फलस्वरूप राष्ट्र प्रगति, विकास एवं आधुनिकीकरण के पथ पर अग्रसर होगा।

मुख्य बिन्दु

साम्प्रदायिकता, जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रीयता, आतंकवाद, नक्सलवादी आतंकवाद, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्त्तव्य, धर्म निरपेक्षता, पर्यटन एवं मेले, पहचान चिन्ह एवं राष्ट्रीय पर्व तथा आदर्श नागरिक संस्कृति।

भारत विविधताओं से परिपूर्ण देश है। यहाँ अनेक जाति, वर्ग, धार्मिक सम्प्रदाय, संस्कृति, विभिन्न भाषाई समुदाय एवं विभिन्न पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति या समूह प्राचीन काल से निवास कर रहे हैं। स्वतंत्रता के पश्चात् इन विविधताओं में एकता स्थापित करने हेतु भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, समान मौलिक अधिकार एवं विधि के समक्ष समता जैसे अनेक प्रावधान किए गए है। भारतीय दंड संहिता में भी विभिन्न प्रकार के अपराध एवं उनके लिए दंड की ऐसी व्यवस्था है कि यह संहिता किसी व्यक्ति विशेष को उसके धर्म, जाति, वर्ग, क्षेत्र, सामाजिक संस्कृतिक और आर्थिक एवं सम्प्रदाय के आधार पर कोई वरीयता या छूट नहीं प्रदान करती है। भारत में विविधता में एकता की पर्याप्त व्यवस्था है। इसके बावजूद अभी भी हमारे देश में जाति, वर्ग, सम्प्रदाय, क्षेत्र, भाषा एवं नस्ल के आधार पर मतभेद उभरकर सामने आते रहे हैं।

विदित है कि भारत एक सम्प्रभु, सशक्त एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला संघीय राष्ट्र है, जो अनेक संस्कृतियों को अपने में समाए है।[1] इसके प्रांतों में भिन्न–भिन्न जाति, धर्म, वर्ग, नस्ल एवं

भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। संघीय व्यवस्था के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य के मधुर सम्बन्ध से राष्ट्र की एकता को बल मिलता है। राष्ट्र की विशालता एवं प्रान्तों के विकास का स्तर अलग–अलग होने से मूल्यों में विभिन्नता स्वाभाविक है। ऐसे में जब राज्य एवं केन्द्र की विचारधाराएँ विरोधी होती है, तो जिस क्षेत्र के लोगों को भेदभाव का एहसास होता है, वहां के लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक है। इस असंतोष को बढावा देने में हमारी राजनैतिक व्यवस्था एवं चुनाव प्रक्रिया मुख्य रूप से उत्तरदायी है। चुनाव का अर्थ है – लोगों का वैध समर्थन प्राप्त करना। चुनाव प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली की वह व्यवस्था है जिसके आधार पर राष्ट्र में सरकार का गठन होता है। चुनाव प्रणाली की समस्त प्रक्रिया भारत में चुनाव आयोग के निर्देशन में की जाती है।[2]

राजनीतिक दल चुनाव जीतने एवं सत्ता प्राप्त करने के लिए अदूरदर्शिता पूर्ण नीति अपनाते हैं। देश की एकता एवं अखण्डता को महत्त्व न देकर जनमानस की संवेदनशील भावनाओं को उद्देलित करते हैं। साथ ही सांप्रदायिकता एवं क्षेत्रीयता जैसी भावनाओं को भडकाकर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। उत्पन्न असंतोष की भावनाएँ राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता के समक्ष चुनौती बन जाती है। अतः इन परिस्थितियों के दृष्टिगत, राष्ट्रीय एकीकरण आवश्यक है।

एकीकरण से तात्पर्य विभिन्न भागों में संयोजन से है। राष्ट्रीय एकीकरण लोगों के बीच भावनात्मक एकता एवं सदभाव से ही संभव है। उन्हे अपने भावनात्मक बंधन को बढाने के लिए अपने विचारों, मूल्यों और अन्य मुद्दों को साझा करने के साथ–साथ विविधता में एकता और राष्ट्रीय पहचान को सर्वोच्च शक्ति के रूप में अपनाना होगा। वास्तव में राष्ट्रीय एकीकरण एक विशेष भावना है जो लोगों को जाति, वर्ग, धर्म, पृष्ठभूमि एवं भाषा की विविधता पर ध्यान दिये बिना राष्ट्र को एक सामान्य बंधन में बांधती है। यद्यपि कुछ तत्व राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक बनकर उभरे हैं। वे मुख्यतः निम्नांकित हैं।

साम्प्रदायिकता

साम्प्रदायिकता संप्रदाय शब्द से बना है। जिसका अर्थ है व्यक्ति को अपने संप्रदाय से आस्था अथवा पहचान। इसके अंतर्गत एक धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषाई समूह अथवा समुदाय जान बूझकर अपने को अलग वर्ग मानकर धार्मिक एवं सांस्कृतिक भेदों के आधार पर राजनीतिक मांगों को राष्ट्रीय एवं सामाजिक हितों से अधिक महत्त्व देता है। साम्प्रदायिकता को विचारधारा एवम् सामाजिक तथ्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विचारधारा से आशय एक विश्वास है और वे धर्म का अनुसरण करते हैं। उनके सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हित समान होते हैं। इसके लिए व्यक्ति की अपने धार्मिक समूह के प्रति मूल सामाजिक एवम् राजनीतिक आस्था होनी चाहिए। अपनी पहचान को दूसरे धर्मों के विपरीत और विरूद्ध संगठनात्मक रूप में प्रस्तुत करना एक सामाजिक तथ्य के रूप में है।

भारत में साम्प्रदायिकता महामारी की तरह फैल गयी है। शायद ही कोई ऐसा राज्य हो, जो इससे अछूता हो। विदित है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र है। इस कारण भारत का कोई राष्ट्र धर्म नहीं है और वह धर्म के मामले में तटस्थ है। प्रत्येक सम्प्रदाय अपने–अपने धर्म के पालन के लिए स्वतंत्र हैं।[3] वोट की राजनीति ने भी सांप्रदायिक भावनाओं को उभारने में कोई कसर नहीं छोडी है। विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं प्रशासनिक कारण सामूहिक रूप से साम्प्रदायिक हिंसा के लिए उत्तरदायी रहे हैं। देश विभाजन के समय दंगे, सन् 1984 में सिख विरोधी दंगे, वर्ष 1989 में घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन, सन 1992 में बाबरी मस्जिद विवाद, वर्ष 2002 में गुजरात

दंगे एवं वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे और सन् 2022 में राजस्थान के शहर करौली, व्यावर, जोधपुर, नागौर एवं भीलवाडा सहित अनेक शहरों में साम्प्रदायिक हिंसा से सम्बन्धित घटनाएँ हुई।[4] अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी परिसर के जुडे विवाद के चलते तनाव की स्थिति है।[5] इनके माध्यम से राजनीतिक दलों एवं राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा राजनीतिक लाभ लेने की हमेशा कोशिश जारी रहती है। स्वाभाविक है कि साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय एकीकरण का मार्ग अवरूद्ध करेगी।

जातिवाद

जाति से आशय एक स्थानीय समूह से है जो एक पारंपरिक व्यवस्था से जुडा होता है। एक जाति समूह की सदस्यता का आधार जन्म का सिद्धांत होता है। इसका व्यवसाय जाति में जन्म के आधार पर निर्धारित होता है ना कि उसकी पसंद का। श्रम विभाजन पर आधारित समाज में जाति प्रथा में समानता तथा शोषण के तत्व भी सम्मिलित है। जाति, उप जातियों में विभक्त है। एक व्यक्ति अपनी जाति में ही विवाह अथवा निकट सम्बन्ध रखता है। जातियों में श्रेष्ठता एवं निष्कृष्टता के आधार पर वंशावली होती है।

भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सर्वाधिक प्राचीन समस्या जातीयता है। उत्तर वैदिक काल में जाति विभाजन की जो प्रक्रिया शुरू हुई उसने गुप्त काल में आकर जटिलता ग्रहण कर ली। इस समस्या से निजात पाना आज भी मुश्किल ही नहीं असंभव प्रतीत होता है। विभिन्न प्रकार की छोटी–बडी जातियों ने समाज को छोटे–छोटे समूह में बाँट दिया है और ये छोटे–छोटे समूह अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार है।

समकालीन भारत की राजनीति में जाति की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। मैरिस जोन्स का कथन सत्य है कि ''जातियों की राजनीति अधिक महत्त्वपूर्ण है तथा राजनीति में जातियाँ पहले की अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है''। स्वतंत्र भारत में चुनाव आदि सभी राजनीतिक गतिविधियों में जाति का प्रभाव बढ रहा है।[6]

सामाजिक न्याय एवं पिछडे वर्ग के उत्थान हेतु मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू करने तथा जातिगत आरक्षण हेतु देश की कई राज्य सरकारों के मध्य प्रतिस्पर्धा ने सम्पूर्ण भारतीय सामाजिक व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। आज देश के अंदर विभिन्न राजनतिक पार्टियां जातिवाद के नाम पर अपनी पहचान बनाने में लगी है। यही नहीं सत्तरूढ होने के लिए चुनाव भी जातिवाद के नाम पर लडे जा रहे हैं।

भाषावाद

भारत एक बहुभाषी राष्ट्र है। भाषा एवं मातृभूमि दो ऐसी चीजे हैं, जिनसे मनुष्य का जन्मजात प्रेम होता है एवं इनको भूलना एवं छोडना आसान नहीं होता है। भारतीय संविधान की आठवी अनुसूची में हिन्दी, मराठी, गुजराती, पंजाबी एवं नेपाली सहित 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। हमारे देश में हिन्दी की एक कहावत प्रचलित है कि एक–एक कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वाणी। भाषायी विविधता देश के विभिन्न भाषायी समूहों के बीच टकराव उत्पन्न करती है। हिन्दी भाषा सर्वत्र बोली और समझी जाती है, लेकिन केन्द सरकार द्वारा जब सरकारी काम–काज में हिन्दी भाषा का प्रयोग करने का आदेश जारी किया गया तो दक्षिण भारत में इसका व्यापक विरोध हुआ। भाषागत् विवाद के कारण देश उत्तरी भारत एवं दक्षिणी भारत में बंट गया, जबकि संविधान के अनुच्छेद 351 में कहा गया है कि हिन्दी भाषा की प्रसार वृद्धि करना और उसका विकास

करना संघ सरकार का कर्तव्य है।[7] राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रिसूत्री भाषा फार्मूला अपनाया गया है तथापि भाषा की विविधता राष्ट्रीय एकीकरण के समक्ष चुनौती है।

क्षेत्रीयता

क्षेत्रवाद का अर्थ एक राष्ट्र अथवा राष्ट्र के किसी एक भाग में उस छोटे से क्षेत्र में है जो सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक, भाषायी, सांस्कृतिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागरूक हो।[8]

इसके अंतर्गत विभिन्न भाषायी, जातीय एवं क्षेत्रीय समुदाय राजनैतिक, प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टिकोण से स्वायत्ता की मांग करते हैं। भारत में मुख्य रूप से असम, नागालैण्ड, मिजोरम, पंजाब एवं जम्मू–कश्मीर राज्य मुख्य रूप से क्षेत्रीय आंदोलनों से प्रभावित रहे हैं। सन् 1950 के प्रारम्भिक दशक में कुछ सीमित क्षेत्रों में क्षेत्रीय अलगाववाद की प्रवृत्ति देखी गयी। सन् 1956 में भाषायी आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद लगभग प्रत्येक प्रांतों में नए राज्यों की स्थापना की मांग जोर पकडने लगी। 1960 के बाद क्षेत्रीयता की भावनाओं ने उग्र रूप ले लिया। सर्वप्रथम पूर्वोत्तर भारत में नागा विद्रोहियों ने अलग राज्य की स्थापना हेतु विद्रोह किया। तत्पश्चात मद्रास एवं उसके बाद कई राज्यों में अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन चलाये गये। अलग राज्य बनाये जाने की क्षेत्रीय भावना से व्यापक जनांदोलन चलाये गए। जगह–जगह तोड–फोड एवं बंद का रास्ता अपनाया गया। यही नहीं सरकारी सम्पत्ति को भी नुकसान पहुँचाया गया। इसमें आंदोलनकारियों को भी अपने प्राणों की आहूति देनी पडी थी। यह भी सत्य हे कि इन आंदोलनों को क्षेत्रीय दलों का बराबर समर्थन मिलता रहा है।

उग्र क्षेत्रवाद के कारण विभिन्न क्षेत्रों के मध्य तनाव एवम् टकराव पैदा होता है। यह भावना राष्ट्रीय एकता के विकास में एक प्रबल विरोधी तत्व ही नहीं, अपितु देश में व्यापक अराजकता के लिए उत्तरदायी है। अभी हाल ही में शिव सैनिकों द्वारा 'महाराष्ट्र' मराठियों के लिए नारा बुलन्द किया गया और दूसरे राज्यों के लोगों को राज्य से निकालने की धमकी दी गयी। पूर्व में भी असम में जनजातीय आधार पर पृथक्करण एवं क्षेत्रीयतावाद की मांग इतनी बढ गयी कि असम राज्य के मिजो पहाडी जिलों के नेता भी भारतीय संघ से पृथक होने की मांग करने लगे एवं ''स्वाधीन मिजोराज्य'' की मांग जोर करने लगी थी।[9] अतः क्षेत्रीयता का संकुचित भाव राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है।

आतंकवाद

हिंसा का सुविचारित प्रयोग है, इसमें कुछ लोग अपनी उचित अथवा अनुचित मांग मनवाने के लिए घोर हिंसात्मक संधानों का प्रयोग करते हैं। आतंकवाद का उद्देश्य भय पैदा करने के लिए अवैध कृत्य करना है। इसके पीछे किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है, जिसमें अपहरण, हत्या, निर्दोष जनता पर बम प्रहार, विमानों का अपहरण, धार्मिक स्थलों पर बमबारी जैसे घृणित अपराध किये जाते हैं। इन आतंकवादी संगठनों को हमारे पडोसी देशों से धन, हथियार और प्रशिक्षण प्राप्त होता है। इनका उपयोग करके वह देश के विभिन्न हिस्सों विशेषकर जम्मू कश्मीर एवं पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देकर भारत की एकता एवं अखंडता को चुनौती देते हैं।[10] अभी हाल ही में अप्रैल माह में पंजाब में खालिस्तान विरोधी रैली एवं मई माह में मोहाली में पंजाब पुलिस की खुफिया शाखा के मुख्यालय पर आरपीजी से हमला हुआ।

नक्सलवादी आतंकवाद

नक्सलवादी आतंकवाद का जन्म 1960 के दशक में नक्सलवादी आंदोलन की कोख से हुआ। नक्सलवादी आंदोलन का नाम एक गांव नक्सलवाडी के नाम से जुडा हुआ है। यह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुडी अनुमंडल में स्थित एक स्थान का नाम है। नक्सलवादी गांव में सामंतो के शोषण के खिलाफ कुछ किसानों ने सशस्त्र विद्रोह कर सामंतों को सजा दी। धीरे–धीरे चारू मजुमदार और कानुसन्थाल जैसे नेताओं के नेतृत्व में नक्सलवाद का विस्तार पूरे पश्चिम बंगाल में हुआ। राज्य में वामपंथी पार्टियों के सत्तारूढ होने के बाद भूमि सुधार कार्यक्रम लागू होने के साथ ही आंदोलन पडोसी राज्यों में भी अपने पैर पसारता चला गया और वर्तमान मं देश के दर्जन भर राज्यों में नक्सलवादी गतिविधियाँ संचालित हो रही है।[12] यह राष्ट्रीय एकीकरण के लिए एक चिंताजनक स्थिति है।

इसके अतिरिक्त गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी एवं आर्थिक असमानता तथा पृथक्कतावाद भी राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है। राष्ट्र विरोधी विदेशी ताकतें तथा कट्टरपंथी भी देश के लोगों को भडकाकर राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को बाधित करते हैं।

राष्ट्रीय एकीकरण मूलतः राष्ट्र में भावनात्मक एकीकरण है। राष्ट्र के निवासियों के मन में व्याप्त एकता की भावना राष्ट्रीय एकीकरण का आधार है। राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक तत्व निम्नलिखित हैः–

मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। यह मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से प्राप्त हैं। इनमें समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय का प्रावधान है। मौलिक अधिकारों का आधारभूत सिद्धांत यह है कि राज्य की शक्ति पर संवैधानिक नियंत्रण के द्वारा व्यक्ति की मूलभूत स्वतंत्रता की सुरक्षा की जाये। ये अधिकार मानवीय स्वतंत्रता के मापदण्ड और संरक्षक दोनों है। मौलिक अधिकार व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण के बीच उचित सामंजस्य स्थापित करते हैं।

भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भाग–3 में अनु0–12 से 35 तक वर्णित है।[13] अनु0–29 भारत में कहीं भी निवास करने वाले नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने के अधिकार की गारंटी देता है। किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा चलाई जाने वाली अथवा उससे सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्था में केवल धर्म, मूलवंश, जाति या भाषा के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं किया जायेगा।[14]

मौलिक कर्त्तव्य

भारत में प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वे संविधान और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। सभी नागरिकों को भारत की एकता और अखण्डता हेतु राष्ट्र की सेवा को सदैव तैयार रहना चाहिए और सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करनी चाहिए एवं हिंसा से दूर रहे। वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाये तथा व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि से सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढने का सतत् प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर प्रगति और उपलब्धि की नई ऊँचाईयों को छू सके।[15]

धर्म निरपेक्षता

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है कि संविधान ने देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया है। प्रत्येक धर्म के अनुयायी को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है एवं राष्ट्र के लिए सर्वधर्म समभाव रखने की व्यवस्था भारतीय संविधान करता है। सन 1976 में 42 वे संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष शब्द जोडकर इस परिप्रेक्ष्य में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। इस अवधारणा में निहित है कि राज्य पंथ, जाति या सम्प्रदाय के आधार पर किसी भी पंथानुयायी से कोई भेदभाव नहीं करेगा।

धर्म निरपेक्षता के सम्बन्ध में प्रसिद्ध विधिवेत्ता डॉ0 लक्ष्मीमल सिंधवी के अनुसार ''यह राष्ट्रीय एकीकरण का साकार विचार है जिसमें राष्ट्रीय जीवन की बिखरी सम्पन्नता को पल्लवित करने की क्षमता है''। डॉ0 अम्बेडकर के शब्दों में ''पंथ निरपेक्ष राज्यो का अर्थ है कि राज्य व्यकितयों को किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा।''[16]

पर्यटन एवं मेले

ये हमें एक दूसरे के निकट लाते हैं। इससे हम एक दूसरे की विशेषताओं और समस्याओं को समझते हैं, जिसके कारण समान भाव, विचार और दृष्टिकोण विकसित हो जाता है। पर्यटन से देश की संस्कृति, आर्थिक एवं विकास के नए आयामों को समझने में मदद मिलती है। मेले से बंधुत्व, परिवार, सामूहिकता एवं आत्मीयता का भाव विकसित होता है।

पहचान चिन्ह एवं राष्ट्रीय पर्व

हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, राष्ट्रीय गीत बंदे मातरम् एवं राष्ट्रगान जनगणमन है। ये राष्ट्रीय भावना एवं राष्ट्रीय एकीकरण को बल प्रदान करते है। स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान देने वाले राष्ट्रीय नायकों के देश में स्मारक बनाने से देश के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता का भाव जागृत होगा। इसी तरह सभी भारतीय नागरिक 26 जनवरी, 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते है। इससे उनमें राष्ट्र निर्माण का भाव उत्पन्न होगा।

आदर्श नागरिक संस्कृति

वह राजनीतिक संस्कृति है, जिसमें नागरिक समुदाय के राजनीतिक विचार और मूल्य राजनीतिक समानता और सहभागिता के सिद्धांतों के अनुकूल होगे। नागरिकों की सक्रियता और निष्क्रियता में संतुलन स्थापित होगा। इस संस्कृति में मतैक्य और मतभेद के बीच संतुलन की स्थिति रहेगी, क्योकि लोकतात्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत विभिन्न समूहों में परस्पर विरोध या संघर्ष होना स्वाभाविक है।[17] यद्यपि राष्ट्रीय निष्ठा और राजनीति के प्रति समर्पण की भावना के कारण यह संघर्ष कभी उग्र रूप धारण नही कर पाएगा। भारत में विभिन्न संप्रदायों और भाषाओं के लोग है, जिनके अपने रीति–रिवाज और त्यौहार है। अतः आदर्श नागरिक संस्कृति राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्द्धन का कार्य करेगी।

राष्ट्रीय एकीकरण में बाद्यक एवं उसके संवर्द्धन के लिए सहायक तत्वों की विवेचना के पश्चात यह भी दृष्टिगत रखा जाना चाहिए कि समाज और सरकार के स्तर पर राष्ट्रीय सुदृढ़ीकरण के लिए क्या–क्या किया जा रहा है और क्या किया जाना चाहिए। सामाजिक दृष्टिगत से देखा जाए तो पर्यटन, मेले एवं राष्ट्रीय पर्वो की राष्ट्रीय एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका है।

स्वतंत्रता प्राप्त के बाद से ही सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए अनेक प्रयास किये जा रहे है। संसद ने सन् 1961 में अपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम बनाकर ऐसी किसी प्रकार की बात को जिसमें भारत की अखण्डता को इस तरह चुनौती दी जाए कि उसकी सुरक्षा ही खतरे में पड जाए, दण्डनीय अपराध बना दिया था। इस कानून से अनु0 19 (1)(क) के अन्तर्गत भारत की प्रभुता एवं अखण्डता को आधार बनाकर अदालत में चुनौती नही दी जा सकती है।[18]

राष्ट्रीय एकता परिषद को समय–समय पर पुर्नगठित किया गया। सन् 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में एकता के स्थान पर एकता एवं अखंडता शब्द को प्रतिस्थापित किया गया।[19] अभी हाल ही मे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के माध्यम से त्रिस्तरीय भाषा फार्मूला, कौशल विकास, नामाकंन एवं पहुंच से श्रम आधारित अर्थव्यवस्था को कौशल आधारित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने का प्रयास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सर्वसाधारण की भी अहम भूमिका है। विभिन्न सम्प्रदाय, जाति, भाषाई समूह एवं क्षेत्रों के लोगों को आपसी मतभेद भुलाकर एक राष्ट्र के नागरिक ओर राष्ट्र निर्माण की भावना से कार्य करना होगा। तभी राष्ट्रीय एकीकरण की भावना सुदृढ हो पायेगी।

संदर्भ

1. शर्मा, अरूणदत्त. (2014). राजनीति विज्ञान (UGC NET). अरिहन्त पब्लिकेशन (इण्डिया) लिमिटिडः पृष्ठ **535.**
2. मल्होत्रा, ए०पी०. (2013). भारतीय शासन और राजनीति. रावत पब्लिकेशनः नई दिल्ली. पृष्ठ **246, 247.**
3. जैन, प्रो० रमेश. (2014). भारत में मीडिया कानून. पंचशील प्रकाशनः जयपुर पृष्ठ **8.**
4. चौधरी, आनन्द. (2022). उभरने लगे साम्प्रदायिक बुखार बढने के लक्ष्ण. इण्डिया टूडे. 25 मई. पृष्ठ **40.**
5. मिश्र, आशीश. (2022). अब काशी मथुरा की बारी. इण्डिया टूडे. 25 मई. पृष्ठ **27.**
6. शर्मा, डा० समरेन्द्र बहादुर. (2022). भारतीय शासन और राजनीति. अखण्ड पब्लिकेशन हाउसः दिल्ली. पृष्ठ **202.**
7. पाण्डेय, डा० जय नारायण. (2003). भारत का संविधान. सेन्ट्रल लॉ एजेंसीः इलाहाबाद. पृष्ठ **601.**
8. महला, डा0 अशोक कुमार. (2011–12). भारतीय राज्य व्यवस्था. अरिहन्त पब्लिशिंग हाउसः जयपुर. पृष्ठ **430.**
9. सिंह, प्रोफेसर महेन्द्र प्रसाद. (2019). भारतीय शासन और राजनीति. अरियन्ट ब्लैक स्वॉन प्राईवेट लिमिटिडः हैदराबाद. पृष्ठ **152.**
10. सुचिन्मयी, रचना. (2016). समसामयिक राजनीतिक मुद्दे. रावत पब्लिकेशनः दिल्ली. पृष्ठ **174.**
11. महाजन, अनिलेश एस०. (2022). खालिस्तान की लम्बी छाया. इण्डिया टूडे. 25 मई. पृष्ठ **35.**
12. सिंह, प्रकाश. (2007). भारत में नक्सलवादी आन्दोलन. योजना फरवरी. पृष्ठ **12.**
13. हसन, डा० इफ्तिखार. (2013). भारतीय शासन एवं राजनीति. शिप्रा प्रकाशनः भजनपुरा. पृष्ठ **62, 63.**

14. पाण्डेय, डा० जय नारायण. (2003). भारत का संविधान. सैन्ट्रल लॉ एजेन्सीः इलाहाबाद. पृष्ठ **291.**
15. शर्मा, डा० ऋचा. (2011). भारतीय शासन एवं राजनीति. राखी पब्लिकेशनः शाहदरा. पृष्ठ **216–217.**
16. महला, डा० अशोक कुमार. (2011–12). भारतीय राज्य व्यवस्था. अरिहंत पब्लिशिंग हाउसः जयपुर. पृष्ठ **388.**
17. त्रिपाठी, डा० प्रकाश मणि. (2007). राजनीतिक अवधारणाएँ एवं प्रवृत्तियां. ज्ञानंदा प्रकाशनः नई दिल्ली. पृष्ठ **114.**
18. जैन, प्रो० रमेश. (2014). भारत में मीडिया कानून. पंचशील प्रकाशनः जयपुर. पृष्ठ **20.**
19. शर्मा, डा० समरेन्द्र बहादुर. (2022). भारतीय शासन और राजनीति. अखण्ड पब्लिकेशन हाउसः दिल्ली. पृष्ठ **159.**